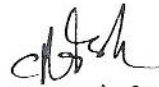


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज0 जयपुर
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 16378-85 दिनांक:- 01 अक्टूबर, 2013
आदेश संख्या 57/2013-14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2011 में सफल/चयनित घोषित किए जाने के उपरान्त श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री राम गोपाल (मेरिट संख्या 02/2011) को विभागीय आदेश संख्या 282/2012-13 दिनांक 11.02.2013 द्वारा कार्यालय खनि अभियन्ता धौलपुर में पदस्थापित किया गया था जहां इन्होंने दिनांक 12.02.2013 को कार्यारम्भ किया था। विभागीय आदेश क्रमांक 9411-520 दिनांक 28 मई 2013 द्वारा इन्हें दिनांक 03.06.2013 से दिनांक 20.09.2013 तक ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में श्री श्याम बिहारी द्वारा उक्त प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

श्री श्याम बिहारी का चयन स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक पं. 1(क)(33)कार्मिक/आरएमएस/डीएलबी/13/7852 दिनांक 28.09.2013 द्वारा कर निर्धारक के पद पर हो गया है जिसके फलस्वरूप इन्होंने आदेश में उल्लेखित नगरपालिका राजाखेडा जिला धौलपुर में अधिशाषी अधिकारी के पद पर पदग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का आवेदन दिनांक 30.09.2013 से निवेदन किया है।

श्री श्याम बिहारी द्वारा लेखाकार के पद पर दिनांक 03.06.2013 से दिनांक 20.09.2013 तक लिये गये आधारभूत प्रशिक्षण में उपनिदेशक (लेखा) ह.च.मा. प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर द्वारा अपने पत्रांक 6042 दिनांक 01.10.2013 द्वारा प्रशिक्षण अवधि में श्री श्याम बिहारी, लेखाकार पर अनुमानित किए गए व्यय वेतन भत्तों एवं अन्य कार्यालय व्यय सहित कुल राशि रुपये 92083/- (बियानवें हजार तेरासी रुपये मात्र) की दोगुनी राशि (श्री श्याम बिहारी द्वारा नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत बन्ध पत्र में अंकितानुसार) रुपये 184166/- (एक लाख चौरासी हजार एक सौ छियासठ रुपये मात्र) राजकोष में मद संख्या 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 003 -प्रशिक्षण, 01- ह0च0मा0राज0 राज्य लोक प्रशासन, 02- फर्म प्रशिक्षण, 29-प्रशिक्षण व्यय में जमा कराने की शर्त पर लेखाकार के पद से कार्यमुक्त कर अधिशाषी अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(वीरबाला जोशी)

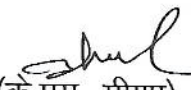
निदेशक,

कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 16378-85 दिनांक:- 01 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. नगरपालिका अध्यक्ष, राजाखेडा जिला धौलपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, ह.च.माथुर रोपा, उदयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय धौलपुर।
5. खनि अभियन्ता धौलपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री श्याम बिहारी, लेखाकार से उक्त राशि राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाने के पश्चात् नये पद के लिये कार्यमुक्त करे तथा जमा करवाई गई राशि के चालान की प्रति इस विभाग को प्रेषित करें।
6. श्री श्याम बिहारी, लेखाकार, खनि अभियन्ता धौलपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार प्रशिक्षण पर हुए व्यय एवं वेतन भत्तों की राशि संबंधित मद में जमा कराये।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
8. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
9. व्यक्तिगत पंजिका।
10. गार्ड फाईल।


(कै.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक-1}